पत्रांक- बाढ़ (मो0)सिं0-50/2017-अंश-।। 527

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषकः-
ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना ।

फैक्स / ई-मेल

सेवा में,

Project director,
Project implementation Unit, Muzaffarpur,
NHAI.
e-mail- muz@nhai.org

पटना, दिनांक 10-02-2026

विषयः- ***बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्राम रामचन्द्री के पास Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield National Highway (NH-119D) under Bharatmala Pariyojana from village Kalyanpur (Design Ch 0.00) to village Balbhadarpur (Design Ch. 47.000) (Amas-Darbhanga) Pkg-III in the state of Bihar on Hybrid Annuity Mode कार्य हेतु बूढ़ी गंडक नदी से गाद निकासी निमित्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत करने के संबंध में ।***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्राम रामचन्द्री के पास Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield National Highway (NH-119D) under Bharatmala Pariyojana from village Kalyanpur (Design Ch 0.00) to village Balbhadarpur (Design Ch. 47.000) (Amas-Darbhanga) Pkg-III in the state of Bihar on Hybrid Annuity Mode कार्य हेतु बूढ़ी गंडक नदी से गाद निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. वर्णित नदी के बाँध के टो से 100 मी0 की दूरी से गाद का उठाव किया जाएगा ताकि तटबंध को किसी प्रकार का क्षति न हो।
2. वर्णित नदियों/धारों के दोनों तरफ किनारे से 3-3 मीटर छोड़कर नदी के बेड में निर्दिष्ट गहराई से सड़क निर्माण हेतु गाद की खुदाई की जा सकेगी।
3. गाद खुदाई के दौरान नदी में बनी संरचनाओं आदि में किसी प्रकार की क्षति न हो। क्षति होने पर इसकी सारी जबाबदेही NHAI की होगी।
4. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाएगा।
5. नदी की गाद सफाई अपस्ट्रीम से प्रारम्भ की जाएगी तथा बिना कोई गैप रखे निर्दिष्ट दूरी तक करायी जाएगी।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थानीय विभागीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी एवं उसके देख-रेख में नदी की खुदाई की जाएगी।
7. कार्य के दौरान नदी एवं तटबंध की सुरक्षा के निमित्त क्षेत्रीय अभियन्ताओं के अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. उड़ाही में निकले मिट्टी / बालू का खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार को Royalty & Seigniorage Fee की राशि का भुगतान NHAI द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
9. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे किसी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटाने की जिम्मेवारी NHAI की होगी।
10. कार्य के दौरान नदी तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी NHAI की होगी।

Udry/E.I.C. SAMASTIPUR 2026

11. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना NHAI द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियन्ता /अधीक्षण अभियन्ता को स–समय दिया जाएगा।

12. कार्य समाप्ति के बाद अथवा बाढ़ अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व नदी में जल प्रवाह को सुचारू बनाये रखने निमित्त नदी से सभी प्रकार के अवरोध को पूर्ण रूप से हटाया जाना आवश्यक होगा ।

13. NHAI/संबंधित एजेन्सी द्वारा मिट्टी /गाद की निकासी के पूर्व संबंधित स्थल का कार्य के दौरान प्रत्येक 15–15 दिन के अन्तराल पर स्थल पर कराये जा रहे मिट्टी/गाद की निकासी तथा मिट्टी /गाद की निकासी के समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण प्रभाग का ड्रोन फोटोग्राफ एवं विडियो जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को समय–समय पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

14. नदी से मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव संलग्न Index Map (अनुलग्नक–1) के अनुरूप किया जायेगा एवं Clear Channel का निर्माण किया जायेगा । साथ हीं कार्य के संदर्भ में सूचना संलग्न विहित प्रपत्र (अनुलग्नक–2) में संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

15. उक्त स्थल पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व यथावत् बना रहेगा।

16. वर्णित नदी में LWL से 02 फीट नीचे तक मिट्टी / गाद की निकासी किया जाएगा।

17. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है। यदि अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करने की जिम्मेवारी NHAI की होगी।

18. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नही होगा। विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयाधीन कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

19. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक–1/पी.एम.सी./विविध/161/2023–205 दिनांक–20.03.2023 द्वारा निर्गत निदेश के अनुपालन में संबंधित संवेदक द्वारा CBuD App(Call Before U Dig App) का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

20. वर्णित स्थल से गाद निकासी हेतु भारतीय मानक 11532:1995 (Reaffirmed 2001) की कंडिका 2.2 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

21. नदी से मिट्टी/गाद की निकासी बाढ़ अवधि में प्रतिबंधित रहेगा ।

22. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

अनु0:–यथावत् ।

विश्वासभाजन

10/02/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– बाढ़ (मो0)सिं0–50/2017–अंश–।। 527 पटना/दिनांक– 10-02-2026

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर/ कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।

10/02/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– बाढ़ (मो0)सिं0–50/2017–अंश–।। 527 पटना/दिनांक– 10-02-2026

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

10/02/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

Uday/E.I.C. SAMASTIPUR 2026

Serial no.	Name of work	Department Name	River/Canal	District	Block	Details of silt excavated						Remarks
						Length (m)	Width (m)	Depth (m)	Quantity (m)	Latitude/ Longitude (from)	Latitude/ Longitude (to)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Burhi Gandak River at Ramchanderi,Kalyanpur Road Samastipur

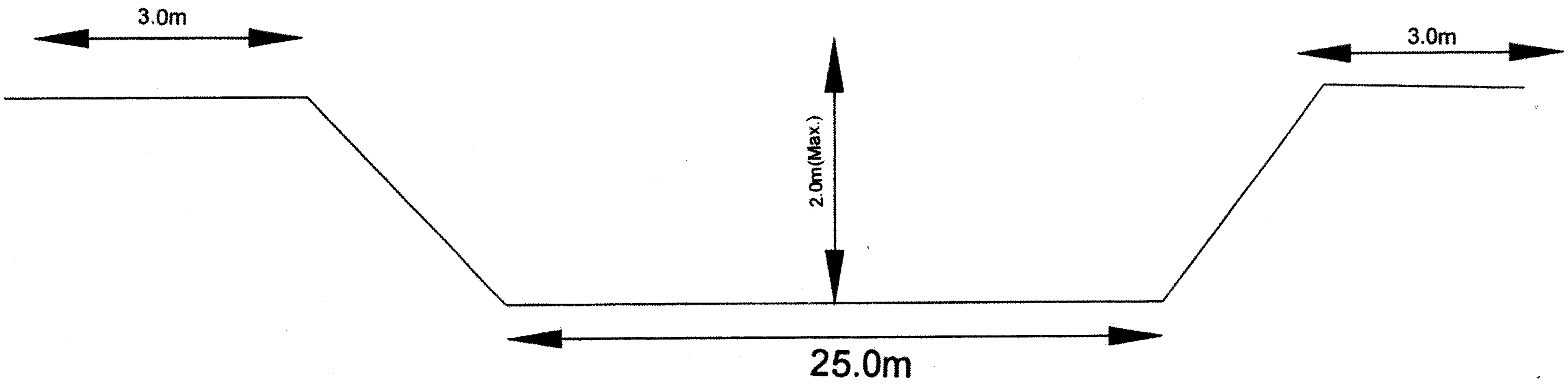

Kalyanpur Roadways private Limited

Scanned with OKEN Scanner